भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 729

23 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

कर्नाटक में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0

729. श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोलः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर्नाटक में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 के शुभारंभ से लेकर अब तक इसके अंतर्गत प्राप्त, स्वीकृत और अस्वीकृत किए गए आवेदनों का जिला-बार ब्यौरा क्या है तथा अस्वीकृति के क्या कारण हैं;

(ख) कर्नाटक में पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत, निर्माणाधीन, निर्मित और कब्जाग्रहित किए गए मकानों का जिला-वार ब्यौरा क्या है और अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और अन्य पात्र श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) पीएमएवाई-2.0 के तहत कर्नाटक में स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई कुल केंद्रीय सहायता का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को कर्नाटक में आवेदनों की स्वीकृति, केंद्रीय सहायता जारी करने या मकानों को पूरा करने में होने वाले विलंब के संबंध में कोई शिकायतें या अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हाँ, तो इस पर किए गए सुधारात्मक उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लंबित मकानों को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है तथा कर्नाटक के सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में पीएमएवाई-यू 2.0 का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है, ताकि देशभर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं सहित सभी मौसमों के अनुकूल पक्के आवास उपलब्ध कराए जा सकें। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर,

एमओएचयूए ने इस योजना में बदलाव किया है तथा देश-भर के शहरी क्षेत्रों में आगामी पांच वर्षों के दौरान 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए 01.09.2024 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 'सबके लिए आवास' मिशन का शुभारंभ किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 का कार्यान्वयन चार घटकों, अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) तथा ब्याज सहायता योजना (आईएसएस) के माध्यम से किया जा रहा है। योजना के संचालन संबंधी दिशा-निर्देश https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf लिंक पर उपलब्ध हैं।

कर्नाटक राज्य में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत कुल 5.76 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 4.98 लाख आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा 4.06 लाख आवास पूर्ण होकर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत कर्नाटक राज्य सरकार ने समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं, किंतु एएचपी/बीएलसी/एआरएच घटकों के अंतर्गत किसी भी आवास का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। केवल आईएसएस घटक के अंतर्गत 1,124 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (हडको) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) तथा बैंकों/आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) आदि के माध्यम से लाभार्थियों के होम लोन खातों में ब्याज सहायता जारी की जाती है।
